विविध प्रकरण संख्या 147/2019(GCMS No. 2019/00257) अनवान् पन्नालाल पुत्र जयराम निवासी मकान नम्बर 42 ए, गली नम्बर 3, देवनगर वार्ड नम्बर 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर बनाम 1. बादल कुमार पुत्र पन्नालाल 2. रीता पत्नी बादल 3. सिद्वार्थ पुत्र बादल कुमार 4. माया पुत्री बादल कुमार निवासी मकान नम्बर 42ए, गली नम्बर 3, देवनगर वार्ड संख्या 1, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.04.2021

प्रार्थी पन्नालाल पुत्र जयराम ने दिनांक 05.04.2021 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि इस प्रकरण में वे आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है, अर्थात नॉट प्रैस करता है। इसलिए इस प्रकरण को दाख़िल दफ्तर कर दिया जावे तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी पन्नालाल ने अपनी पहचान स्वरूप स्वःहस्ताक्षरित आधार कार्ड की प्रति पेश की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि यह प्रार्थी पन्नालाल द्वारा अपने पुत्र अशोक कुमार वगै. के विरूद्व अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 09.08.2019 के विरूद्व पेश की गई है। प्रार्थी पन्नालाल के उपस्थित होकर पैरवी न करने के कारण उनकी अपील भरण पोषण संख्या 10/2019 दिनांक 13.11.2019 के आदेश से खारिज खारिज की गई थी, जिसे रि–स्टोर करने हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया था।

चूंकि अब प्रार्थी इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है इसलिए इस प्रकरण में इसी आधार पर कार्यवाही समाप्त की जाती है। यह पत्रावली मूल पत्रावली के साथ शामिल रहे। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट को भी आदेश की एक–एक प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरत़ीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:31:11 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 26.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर